

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

29 / 2025 / प्रा.पत्र / 2025

19.03.2025

17.04.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण,  
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री नासिर अहमद पुत्र श्री मोहम्मद उस्मान निवासी करोलियान मोहल्ला छावनी टोंक  
जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स बेबी किराणा स्टोर मोहल्ला करोलियान छावनी टोंक जिला टोंक  
राज0। मोबाईल नं. 9251559149।

2-मैसर्स बेबी किराणा स्टोर मोहल्ला करोलियान छावनी टोंक जिला टोंक राज0।

पिनकोड-304001

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)  
की उप धारा (ii),(iv) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री नासिर अहमद उपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक 17/4/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
दिनांक 16.12.2024 को समय 04:00 पी.एम. पर मैसर्स बेबी किराणा स्टोर मोहल्ला करोलियान  
छावनी टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर विक्रेता की हैसियत से श्री नासिर अहमद पुत्र  
श्री मोहम्मद उस्मान अपने प्रतिष्ठान मैसर्स बेबी किराणा स्टोर मोहल्ला करोलियान छावनी  
टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री नासिर अहमद  
पुत्र श्री मोहम्मद उस्मान को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नासिर  
अहमद पुत्र श्री मोहम्मद उस्मान ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ/ मालिक होना स्वीकार  
किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि  
आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में लोहे के एक टिन/पीपे में लगभग 10 किलोग्राम धनिया  
पावडर(खुला) रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व  
निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री नासिर अहमद पुत्र श्री मोहम्मद  
उस्मान को गवाह केसामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच कय करने हेतु नोटिस देकर  
नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री नासिर अहमद पुत्र श्री मोहम्मद



adl  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

उस्मान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह धनिया पावडर (खुला) वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, दुकान में लोहे के एक टिन/पीपे में से लगभग 10 किलोग्राम धनिया पावडर(खुला) में से 2 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा धनिया पावडर(खुला) 2 किलोग्राम को 4 अलग-अलग साफ व सूखी प्लास्टिक के डिब्बों में प्रत्येक में 500-500 ग्राम भरकर, प्लास्टिक के डिब्बों के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4251 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4251 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/27 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/5282/एक्ट/2024/5189 दिनांक 23.12.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया धनिया पावडर (खुला) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बधन) नं. 2.3.14(15)के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी श्री नासिर अहमद उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्राथी जिस धनिया पावडर (खुला) का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त धनिया पावडर (खुला) जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011



Handwritten signature 'DOL' and the text 'अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टॉक'.

की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया धनिया पावडर(खुला) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक(Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शारित जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/14/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(रामरतन सािकरिया)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0